POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 06.08.2022

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा कैब लूट की घटना का पर्दाफाश कर 01 लूटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी हुई कार व 01 तमंचा बरामद।

दिनांक 06.08.2022 थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र धर्मापाल नि0 गली नं0-2 छिजारसी कालोनी थाना सेक्टर 63 गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता गली नं0-3 जस्सी गढी गौरव मार्किट के पास थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद को लूटी हुई कैब (स्विफ्ट डिजायर) , 01 तमन्चे व 02 फर्जी नंबर प्लेट के साथ 6 प्रतिशत प्लाट के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.07.2022 को तीन व्यक्तियों द्वारा एक कार नंबर डीएल 1 जेडसी 8211 को सुनियोजित तरीके से लूटने के उद्देश्य से जोहरीपुर मेट्रो स्टेशन थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद से एक मूर्ति के लिए बुक किया था तीनों व्यक्ति इस कार में सवार हो कर आए और गाड़ी ड्राइवर गोरेलाल पुत्र गया प्रसाद निवासी रूपार्टी थाना अंबा जिला मुरैना मध्य प्रदेश के साथ मारपीट कर गाड़ी को विजय नाथन स्कूल के पास से लूट कर ले गए और ड्राइवर को वही फेंक गए उपरोक्त के संबंध में गाड़ी मालिक सोनू पुत्र मनीराम द्वारा थाना बिसरख पर मुकदमा अपराध संख्या 439 /22 धारा 394 आईपीसी पंजीकृत कराया गया । उक्त घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया। अभियुक्त द्वारा गाड़ी को बुक करने में जिस नंबर 7042699316 का प्रयोग किया गया वह नंबर फर्जी नाम पते पर लिया गया था थाना स्तर पर गठित टीम द्वारा काफी प्रयास के उपरान्त 6 प्रतिशत प्लॉट एरिया से मय लूटी गई गाड़ी एवं अवैध तमंचा और कारतूस के एक अभियुक्त रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरणः

रमेश कुमार पुत्र धर्मापाल नि0 गली नं0-2 छिजारसी कालोनी थाना सै0 63 गौतमबुद्धनगर हाल पता गली नं0-3 जस्सी गढी गौरव मार्किट के पास थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1. मु0अ0सं0 439/2022 धारा 394/411/482/34 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0 481/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1. 01 कैब स्विफट डिजायर नं0- डी एल 1 जेड सी 8211

2. 01 अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस

3. 02 फर्जा नंबर प्लेट

4. 01 मोबाइल फोन (घटना मे प्रयुक्त)

2-थाना जेवर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास मे वांछित अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त अवैध शस्त्र के साथ किया गिरफ्तार।

दिनांक 06.08.2022 को थाना जेवर पुलिस द्वारा अभियुक्त हरिओम पुत्र राजाराम निवासी गांव बिसाहडा थाना जारचा जिला-गौ0बु0नगर को काली मन्दिर के पास गांव थोरा थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा बरामद किया गया है।

दिनांक 03.08.2021 को ग्राम चांचली मे अभियुक्त हरिओम पुत्र राजाराम निवासी ग्राम बिसाहडा थाना जारचा गौतमबुद्धनगर द्वारा अंकुश व सतीश उर्फ डालू पुत्रगण कन्छू निवासी ग्राम चांचली थाना जेवर गौतमबुद्धनगर को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर किया था, जिसके सम्बन्ध मे वादी श्री कन्छू पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम चांचली थाना जेवर द्वारा दिनांक 08.08.2021 को थाना जेवर पर प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 627/21 धारा 307/504 भादवि बनाम हरिओम उपरोक्त पंजीकृत किया गया था ।

अभियुक्त का विवरणः

हरिओम पुत्र राजाराम निवासी गांव विसाडा थाना जारचा जिला गौ0बु0नगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

1.मु0अ0सं0 293/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

2.मु0अ0सं0 627/21 धारा 307,504 पचब थाना जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर

3.मु0अ0सं0 241/15 धारा 147,148,149,302,307,323,427,458,504,506 भा0दवि व 7 सीएल एक्ट थाना जारचा कमिश्नेरेट गौतंमबुद्धनगर

4.मु0अ0सं0 257/19 धारा 307 भा0द0वि0 थाना जारचा कमिश्नेरेट गौतंमबुद्धनगर

5.मु0अ0सं0 258/19 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना जारचा कमिश्नेरेट गौतंमबुद्धनगर

6.मु0अ0सं0 094/19 धारा 392,411 भा0दवि0 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

7.मु0अ0सं0 160/19 धारा 392/411 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

8.मु0अ0सं0 315/19 धारा 392/411 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

9.मु0अ0सं0 659/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः

01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

3- थाना दादरी पुलिस द्वारा गौतस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मो0सा0 (घटना मे प्रयुक्त), 02 छुरे, 02रस्सी, 02 इंजेक्शन,01 प्लास्टिक का कट्टा बरामद।

दिनांक 06/08/2022 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 गौतस्कर अभियुक्त आरिफ पुत्र अब्बास निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर जिला- गा0बाद को जारचा अण्डर पास सर्विस रोड से 100-150 मीटर आगे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 मो0सा0 हीरो स्पेलेन्डर बिना नंबर प्लेट(घटना मे प्रयुक्त), 02 छुरे, 02 रस्सी, 02 इंजेक्शन, 01 प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुए है।

अभियुक्त का विवरणः

आरिफ पुत्र अब्बास निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर जिला- गा0बाद।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरणः

1. मु0अ0सं0367/2022 धारा 3/5 गौ-वध निवारण अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।

2. मु0अ0सं0 342/2022 धारा 3/5 गौ-वध-अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।

3. मु0अ0सं0 408/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।

4. मु0अ0स0 310/2017 धारा 147/323/354/504 भादवि थाना सै0 58 गौतमबुद्धनगर ।

5. मु0अ0स0 443/2021 धारा 3/5/8 गौ0वध0अधि0 थाना भोजपुर गाजियाबाद ।

6. मु0अ0सं0 45/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना भोजपुर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः

1. 01 मो0सा0 हीरो स्पेलेन्डर बिना नंबर प्लेट(घटना मे प्रयुक्त)

2. 02 छुरे

3. 02 रस्सी

4. 02 इंजेक्शन Themicane -2 %

5. 01 प्लास्टिक का कट्टा

4-थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त 01 अंर्तजनपदीय वाहन चोर/लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर,.01 जिन्दा कारतूस 315 बोर,.01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मो0सा0 , 01 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 06.08.2022 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा 01 अन्तर्जनपदीय लुटेरा/चोर सद्दाम पुत्र इस्लाम निवासी मोती कालोनी पुरानी चुंगी थाना कोतवाली नगर हापुड वर्तमान पता गाजीपुर दिल्ली को छोटा डी पार्क और एनआईबी चौके के बीच पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 चोरी की मो0सा0 स्पलेण्डर नं0 यूपी16सीबी-1620 व लूट का 01 मोबाईल फोन बरामद हुआ है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त सद्दाम पुत्र इस्लाम नि0 मोती कालोनी पुरानी चुंगी थाना कोतवाली नगर हापुड हाल पता गाजीपुर दिल्ली एक शातिर किस्म का अपराधी है। पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बरामद मोबाइल फोन सैमसंग गोल्डन रंग कीपेड उसने रेडीसन होटल के पास एक राह चलते हुए व्यक्ति से छीना था, उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना सेक्टर 58 पर मु0अ0सं0- 338/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत है व मो0सा0 स्पलेण्डर नं0 यूपी16सीबी-1620 को चोरी करना बताया है। अभियुक्त सद्दाम उरोक्त इसी प्रकार के अपराध में जिला हापुड से पूर्व में जेल जा चुका है।

अभियुक्त का विवरणः

सद्दाम पुत्र इस्लाम निवासी मोती कालोनी पुरानी चुंगी थाना कोतवाली नगर हापुड वर्तमान पता गाजीपुर दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1.मु0अ0सं0- 338/22 धारा 392 भादवि थाना सैक्टर-58, गौतमबुद्धनगर

2.मु0अ0सं0- 339/22 धारा 307 भादवि थाना सैक्टर-58, गौतमबुद्धनगर

3.मु0अ0सं0- 340/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर-58, गौतमबुद्धनगर

4.मु0अ0सं0- 341/22 धारा 411, 414 भादवि थाना सैक्टर-58, गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरणः

1. 01 तमंचा 315 बोर,.01 जिन्दा कारतूस 315 बोर,.01 खोखा कारतूस 315 बोर

2. 01 मो0सा0 स्पलेण्डर नं0 यूपी16सीबी-1620

3. 01 मोबाइल फोन सैमसंग गोल्डन रंग कीपेड

#थाना सेक्टर 39 पुलिस की महिला सुरक्षा इकाई टीम द्वारा, घर से गुमशुदा हुए बच्चे को तलाश कर मिलाया परिजानो से।

दिनांक 06.08.2022 को थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची उम्र 05 वर्ष निवासी ग्राम हाजीपुर गौतमबुद्धनगर घर से खेलते खेलते होकर कही चली गयी थी। इस सूचना पर थाना सेक्टर 39 की महिला सुरक्षा इकाई टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुये बच्ची को सेक्टर 49 की मार्केट से तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा किये गये इस कार्य का परिजनों एवं आसपास के व्यक्तियों द्वारा आभार व्यक्त किया।

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशानुसार यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से सभी जोन के डीसीपी/डीसीपी ट्रेफिक के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 1988 वाहनों के चालान के साथ 14 वाहनों को किया गया सीज।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशानुसार कमिश्नरेट में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुचारू रूप से चलाने हेतु तीनो जोन के डीसीपी/डीसीपी ट्रेफिक/एडीसीपी व एसीपी के नेतृत्व में कमिश्नरेट के प्रमुख चौराहो/मेट्रो स्टेशन के पास/बाजारो आदि में यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा नो पार्किंग जोन में खडे वाहनों के विरूद्ध लगातार चालान की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 06.08.2022 को सभी जोन में विशेष ट्रैफिक अभियान चलाया जा रहा है। जिसमे सभी जोन के पुलिस अधिकारीगण के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा

यातायात नियमों का पालन ना करने वाले व अवैध रूप से संचालित वाहनों अवैध तरीके से वाहन को पार्क करने वाले तथा यातायात बाधित करने वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तीनों जोन में कुल 1988 वाहनों के चालान किए गए और 14 वाहनों को सीज भी किया गया। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।